न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/49/2024	2024/112	30.10.2024	21.03.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

–प्रार्थी

बनाम

01. श्री सुरजीत सिंह पुत्र लड्ढा सिंह, निवासी जनता कॉलोनी, अलवर राज0।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :–

1. प्रवर्तन अधिकारी –विभागीय प्रतिनिधि।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह –वकील अप्रार्थी।

––:: निर्णय ::––

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 21.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी यहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु सुरजीत सिंह पुत्र लड्ढा सिंह, निवासी जनता कॉलोनी, अलवर की महेन्द्र भाई चिकन सेन्टर, नियर प्रताप ऑडिटोरियम, अलवर पर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर सुरजीत सिंह पुत्र लड्दा सिंह, निवासी जनता कॉलोनी, अलवर, उपस्थित मिले।

श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री गंगासहाय की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। सुरजीत सिंह पुत्र लड्ढा सिंह द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सुरजीत सिंह के द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था. जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को मैं० मॉडर्न गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री भगवान सिंह पुत्र श्री अमर सिंह को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अ[illegible]रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
[illegible]लवर (राज0)

अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के घर पर कोई नही था जिस कारण प्रार्थी की दुकान खालसा चिकन सैन्टर, स्टेडियम के पीछे भवानी तोप चौराहा, अलवर पर घर के गैस सिलेण्डर रखे हुए थे जो कि घर लेकर जाने था। प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही गलत है तथा प्रार्थी को गलत तथ्यो के आधार पर उक्त नोटिस दिया गया है। जवाब के साथ दो गैस कनैक्शन की डायरी की प्रति संलग्न है। अतः श्रीमान के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को न्यायहित में ड्रोप की जाकर प्रार्थी को नोटिस के भार से मुक्त किये जाने की कृ पा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का मनन किया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री गंगासहाय की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री गंगासहाय वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री गंगासहाय के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)